

6/2/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
अप्रार्थी कि तामिल गरिह रजिस्ट्री के
भेजी गई थी जिसमें एक माह से अधिक
का समय हो चुका है। अप्रार्थी कि और
से ना तो पूर्व में कोई उपलिखत हुआ
गा ही काज कोई उप० हुआ। बार-बार
आवाज दिलाई जाने पर भी कोई उप०
नहीं हुआ। कतः अप्रार्थी के विरुद्ध एडवोकेट
कार्पेकी कतल मं लारी जाती है। वकील प्रार्थी
को पुना गया एवं पत्रावली का इन्फोर्मन
रिपा गया। अखलोकन के पश्चात वकील
प्रार्थी द्वारा उल्लुत प्रार्थना पर वाज कार्परी
हवीकार रिपा जाता है तथा मूल अपील
सं 117/2021 उनवानी रामो वार बनाम उप
तहसीलदार निर्णय सं 12-7-22 को पुनः



रीख
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर
ज
ना

नम्बर पर लिए जाने के कोडेश दिष्ट
जाते हैं। कपील को पुनः दर्ज कर नोटिस
जारी किये जावें। प्रार्थना पत्र कपील के
सलोकन रिफा जावे। पकावली के लिये शुभार
होकर नम्बर से कम होकर दालिल इफ्तदारों

महोदय कोर्ट के अंतर्गत
न्यायिक कार्य के लिये
आवश्यकता अनुसार
कोर्ट के अंतर्गत कार्य